

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART -III, SECTION 4

F.NRC/NCTE/UP-1081 & UP-2727/301<sup>st</sup> Meeting/2019/203387 Dated: 24 MAY 2019

RESTORATION ORDER

WHEREAS, recognition was granted by the Northern Regional Committee to, **Shyam Lal Saraswati Mahavidhyalaya, Village - Shikarpur, Post Office - Shikarpur, District - Bulandshahar, State - Uttara Pradesh, Pin Code - 202395** for B.Ed. course vide order No. NRC/NCTE/F-3/UP-1081/4915-4923 dated 04.08.2004 with an annual intake of 100 seats from the academic session 2004-05 and for M.Ed. course vide order No. NRC/NCTE/UP-2727/206<sup>th</sup> Meeting/2012/34803 dated 05.12.2012 with an annual intake of one unit (35 seats) from the academic session 2013-14 was issued to institution.


2. AND, WHEREAS, the said recognition was withdrawn by NRC vide order No. NRC/NCTE/UP-1081 & UP-2727/278<sup>th</sup> Meeting/2017/186280 dated 27.12.2017.

3. AND, WHEREAS, the institution filed an appeal before the Council (NCTE) against the above order under Section 18 of NCTE Act, 1993, the Council had passed order dated 27.03.2019 and remanded back the case with direction to NRC to reconsider the case.

4. AND, WHEREAS, in compliance of the appeal order dated 27.03.2019, NRC considered the reply of institution dated 11.04.2019 in its 301<sup>st</sup> Meeting held on 09<sup>th</sup> to 11<sup>th</sup> May, 2019 and the Committee decided that compliance with the order of the appellate authority the committee decided to restore the recognition of B.Ed. and M.Ed. courses.

5. NOW, THEREFORE, in exercise of the power vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby restore the recognition granted to **Shyam Lal Saraswati Mahavidhyalaya, Village - Shikarpur, Post Office - Shikarpur, District - Bulandshahar, State - Uttara Pradesh, Pin Code - 202395** for B.Ed. course vide order No. NRC/NCTE/F-3/UP-1081/4915-4923 dated 04.08.2004 with an annual intake of 100 seats (two units) from the academic session 2004-05 and for M.Ed. course vide order No. NRC/NCTE/UP-2727/206<sup>th</sup> Meeting/2012/34803 dated 05.12.2012 with an annual intake of one unit (50 seats) from the academic session 2013-14.

By Order

  
(Dr. Vijay Kumar, R)  
Regional Director

कार्यालय : जी-7, सेक्टर-10, (नियर सेक्टर-10 मेट्रो स्टेशन) द्वारका,  
नई दिल्ली-110075

कार्य क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब  
चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

फोन : 011-20892151, 011-20892152

प्राचार्य  
श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Office : G-7, Sector-10, (Near Sector-10 Metro Station) Dwarka,  
New Delhi-110075

कार्य क्षेत्र : U.P. Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh,  
Rajasthan

E-mail : nrc@ncte-india.org Website : www.ncte.org  
Shyam Lal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/779  
दिनांक : 12.7.2021

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79- वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति के आलोक में श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर बुलन्दशहर को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2016 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविष्टानित परन्तुक के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उपरोक्त संदर्भित कमियों का निराकरण कर लिया जायेगा एवं सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
02. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
03. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाये।
04. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अतः कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 26.08.2019 के आलोक में श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर बुलन्दशहर को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2016 से सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर बुलन्दशहर।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

कुलसचिव  
Manager  
Shyam Lal Saraswati Mahavidyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक:- सम्बद्धता/ 458  
दिनांक:- 30.10.2004

सचिव,  
श्याम लाल सरस्वती महाविद्यालय,  
शिकारपुर,  
बुलन्दशहर

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स./5386/जी.एस. दिनांक 01.10.2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) तथा संशोधन अधिनियम 2003 की धारा-5 के अन्तर्गत श्याम लाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को स्नातक स्तर पर चौ०एड० कार्यक्रम में सी सीटी की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अर्थात् दिनांक 01.07.2004 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही भूमि महाविद्यालय के नाम रजिस्ट्री कराकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा होगा एवं निरीक्षण आख्या/रूपरेखा की में दायित्व समस्त कमिश्नों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. संस्था टैच शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का प्रालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्पन्नावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों को पूर्णतः एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद को स्वीकृति की प्रत्यारण में कुलापति जो के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर श्याम लाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को स्नातक स्तर पर चौ०एड० कार्यक्रम में सी सीटी की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अर्थात् दिनांक 01.07.2004 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त कार्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे, जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रचारि

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

भवदीय,

कुलसचिव

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, शोपनीय (ओफिसियल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

अयुक्त/ शुभा

Manager  
Shyam Lal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

अयुक्त/ शुभा

कुलसचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)  
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION  
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)  
NORTHERN REGIONAL COMMITTEE

Office :- A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302004  
Website : "http://www.ncte-in.org"  
Ph. No. :- 0141-2623501, 2622661

E-mail : nrc@yahoo.com

Fax No. :- 0141-2620116

SPEED POST / REGISTERED

August 4, 2004

F. NRC/NCTE/F-3/UP-1081/4321

ORDER

Shyamlal Saraswati Mahavidyalaya, Saraswati Vihar, Shikarpur, Distt. - Bulandshahar- 202395, Uttar Pradesh submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for B.Ed. course of one Year duration in terms of section 14(1) of NCTE Act, 1993.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grant recognition to Shyamlal Saraswati Mahavidyalaya, Saraswati Vihar, Shikarpur, Distt. - Bulandshahar- 202395, Uttar Pradesh for an annual intake of 100 seats (One Hundred only) in B.Ed. course of One year duration with effect from the academic session 2004-2005 subject to fulfillment of the following before the commencement of the session.

- Appointment of the faculty members duly qualified and staff as per the norms of NCTE/ State Govt./UGC is to be completed before the commencement of the session.
- The countersigned statement of all faculty members from the Registrar of the concerned University should be submitted before the commencement of the academic session 2004-2005.
- The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
- The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.
- That the Reserve Fund for an amount equal to three months salary of the Teachers & Staff be created within one month from the date of issue of this order and maintained in the form of FDR in favour of the management/institution, for a period of not less than sixty months (Five years) in a Nationalized Bank.
- Non-compliance of the above mentioned conditions shall cause action under section 17 (1) of NCTE Act, 1993.

3. The Recognition is subject to the condition that the affiliating University shall ensure that, among other things, the institution has appointed required number of faculty members (including Principal / Head of Department), as per the norms of the NCTE / UGC / Affiliating University.

D:\RECOGNITION ORDER 2004-5.doc

Manager

Shyamlal Saraswati Mahavidyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

Contd 2..

Manager

Shyamlal Saraswati Mahavidyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

268

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc.
5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval of the affiliating University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts duly audited by a Chartered Accountant.
6. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and/or order made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act, 1993.
7. Please acknowledge receipt of this order together with its enclosures.

- By Order

For Regional Director

The Manager,  
Government of India,  
Department of Publications, (Gazette Section),  
Civil Lines,  
Delhi - 110054

Copy to:

1. The Secretary, Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi
2. The Education Secretary, Govt. of U.P., Secretariat, Lucknow (U.P.)
3. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Uttar Pradesh, Allahabad (U.P.)
4. The Registrar, C.C.S. University, Meerut, U.P. - to ensure compliance of the clause 3 of the recognition order. In case the institution is not found to have complied with the said requirements; the concerned department shall withhold the affiliation and report the same to NRC, NCTE.
5. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, I.P. Estate, I.G.I. Stadium, New Delhi - 110002
6. The Principal, Shyamlal Saraswati Mahavidyalaya, Saraswati Vihar, Shikarpur, District - Bulandshahr - 202395, Uttar Pradesh - A copy of procedure for creation of fixed deposit in joint account towards Endowment Fund and Reserve Fund is enclosed.
7. The Under Secretary, Computer Section, NCTE, I.P. Estate, I.G.I. Stadium, New Delhi - 2
8. Computer cell (NRC)

For Regional Director

D:\REC COGNITION ORDER 2004-5.doc

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manager  
Shyamlal Saraswati Mahavidyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

Manager  
Shyamlal Saraswati Mahavidyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ 094  
दिनांक : 26.06.2006

सचिव,  
श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय,  
सरस्वती विहार, शिकारपुर,  
बुलन्दशहर  
महोदय,

कुलाधिपति सचिवालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या-713/जी.एस. दिनांक 09.06.2006 के माध्यम से माननीय महामहिम कुलाधिपति जी ने सम्यक् विचारोपरान्त आपके संस्थान (श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, सरस्वती विहार, शिकारपुर, बुलन्दशहर) को शिक्षा संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर **बी0एड0** पाठ्यक्रम में 100 सीट का प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 01.07.2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन प्रदान की ~~गई~~ तथा संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में उनके द्वारा प्रवन्धकीय कोटे में निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश न लिया जाये, आरक्षण नियमों का विधिवत पालन किया जाये तथा सम्बद्धता हेतु निर्धारित समस्त शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं निरन्तरता सुनिश्चित की जाये अन्यथा संस्था के विरुद्ध निवमानुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।

भवदीय,

कुलसचिव  
E. M. M.

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मन्त्रायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनाय ।
3. प्रभारी, कमटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाय प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाय प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाय प्रेषित।

कुलसचिव

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manager  
Shyamalal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/17/2010  
दिनांक : 17/8/2010

सचिव,  
श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय,  
शिकारपुर, बुलन्दशहर

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब-0-84/सत्तर-2-2010-10 (84)/2010, दिनांक 25.06.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2002) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों का पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों का सुसंगत एवं आशाजनक शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय-पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कर्मटी सैल/बी0एड0 सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. समन्वयक बी0एड0 प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।
7. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त संस्थान का 100 अतिरिक्त सीटों को भी काउन्सिलिंग में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Shyamla! Saroswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)  
Maharaj  
Shyamla! Saroswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्  
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)  
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION  
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)  
Northern Regional Committee

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART - III, SECTION 4  
F.NRC/NCTE/F-7/UP-2728/Appeal/2009/14542

Dated:

6 JAN 2010

ORDER

WHEREAS In terms of Section 15(1) of the NCTE Act, 1993 Shyam Lal Saraswati Mahavidyalaya, Saaswati Vihar, Shikarpur, Bulandshahar, Uttar Pradesh had submitted an application to the Northern Regional Committee of NCTE, Jaipur for grant of recognition/permission for starting B.Ed. Addl. Course of One year duration with an annual intake of 100 (One Hundred Only) students on 05.12.2007.

2. AND WHEREAS the original file of the institution as well as other documents and materials submitted by the institution along with VTR videography were duly considered by the NRC in its 139<sup>th</sup> Meeting held on 10<sup>th</sup> to 12<sup>th</sup> April, 2009 and the committee decided to issue letter of intent to prior to recognition under clause 7(9) of regulation 2007. The institution is asked to submit the selection committee minutes of faculty for existing and proposed course. Accordingly letter of intent to prior to recognition was issued to the institution vide NCTE letter no. F.NO.NRC/NCTE/F-7/UP-2728/2009/1555-56 dated 02.05.2009.

3. AND WHEREAS the applicant institution submit its reply with conditions mentioned in the conditional recognition to Northern Regional Committee, NCTE, Jaipur and the matter was placed before NRC in its 142<sup>nd</sup> Meeting held on 14<sup>th</sup> to 16<sup>th</sup> June, 2009 and the committee decided to issue a clarification to the institution and a clarification letter was issued to the institution on 22.07.2009.

4. AND WHEREAS the applicant institution submit its reply to the Northern Regional Committee on 13.07.2009 and the matter was placed before the NRC in its 145<sup>th</sup> Meeting held on 26<sup>th</sup> - 28<sup>th</sup> July, 2009 and the committee decided to refuse the recognition for B.ED Course of one year duration. Accordingly order was issued vide order no. F.NRC/NCTE/F-7/UP-2728/145 meeting/2009/9042-48 date: 28.08.2009. The above said institution, thereafter preferred an appeal dated 12.10.2009 to the NCTE, New Delhi. Under section 18 of the NCTE Act 1993 against the aforesaid order.

5. AND WHEREAS after perusal of documents, memorandum of appeal, affidavit and after hearing oral arguments advanced during the hearing, the NCTE, New Delhi, reached the conclusion that there was adequate ground to accept the appeal set-aside NRC's order dated 28.08.2009 with the direction to the NRC to issue recognition order. Accordingly, the appeal was allowed, NRC's order dated 28.08.2009 was set-aside and the case was remand back to NRC for issue or recognition order under clause 7(11) of the NCTE Regulation.

6. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 15(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants permission to Shyam Lal Saraswati Mahavidyalaya, Saaswati Vihar, Shikarpur, Bulandshahar, Uttar Pradesh for conducting B.Ed Addl. Course of Secondary (Level) of One year duration with an annual intake of 100 Students (One Hundred only) students from the academic session 2009-2010 under clause 7(11) of NCTE Regulation, 2007 notified on 10-12-2007 subject to fulfillment of the following conditions as per the clarification from the NCTE HQtrs letter No. File No. 48-3(1)/2008/NCTE (N&S) dated 01/10/2009:

7. The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.

8. The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

9. The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10-12-2007.

Cont..2..

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)  
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)  
Jurisdiction: U.P., Uttaranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

Phone No.: 0141-2623501 (O), Telefax No.: 0141-2623506 (RD)

E-mail: nrc@ncte-in.org

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Shyam Lal Saraswati Mahavidyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)  
Bulandshahr

10. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed under relevant norms and standards of NCTE for other regulatory bodies like UGC, the State Government etc. wherever applicable.

11. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant together with statement of T.D.S. in respect of the salary paid to the staff. A copy of the format is enclosed with the order.

12. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as stipulated provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

13. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure: -

- Copy of the Application Form
- Land and Building Particulars
- Staff Profile
- Recognition letter
- Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

14. In case if the land is in the name of the Society, you must transfer the land within six month in the name of the institution failing to which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate the respective Regional Committee along with the new land document within the stipulated time.

(Dr. K.S. Yadav)  
Regional Director  
Tel. No. 0141-2623501


The Manager to Govt. of India  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi - 110 054

C.C.

- (1) The Principal, Shyam Lal Saraswati Mahavidyalaya, Saswati Vihar, Shikarpur, Bulandshahar, Uttar Pradesh.
- (2) The Secretary Education, Govt. of Education, Secretariat Lucknow, Uttar Pradesh.
- (3) The Registrar, C. C. S. University, Meerut, Uttar Pradesh.
- (4) The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Uttar Pradesh, Directorate - Allahabad, Uttar Pradesh.
- (5) The Secretary, Dept. of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001
- (6) The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002.
- (7) Office Order file/ Institution file
- (8) The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 with reference to appeal order F. No. 39-357-2009 APPELL/ A 5630 dated 06/11/2009.

Manager  
Shyam Lal Saraswati Mahavidyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

  
Regional Director  
05/11/10

  
श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manager  
Shyam Lal Saraswati Mahavidyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/22-8/1  
दिनांक : 13.06.2014

सम्बद्धता आदेश

शासन के पत्र संख्या सम्ब0-609/सत्तर-2-2014-2(609)/2014, दिनांक 26.06.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर (बुलन्दशहर) को कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम (35 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन भवन का मानचित्र सक्षम अधिकारी से अनुमोदित न होने, खतौनी, सिजरा व नजरी नक्शों की प्रमाणित प्रति वांछित वांछित होने, एम0एड0 पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालय से प्रमाणित परीक्षाफल वांछित होने एवं लीजडीड की प्रमाणित प्रति वांछित होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2014 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

D:\ATTN\_3 (333)

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manager  
Shyam Lal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)  
Manager  
Shyam Lal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

क्र.सं.:

(2)

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर (बुलन्दशहर) को कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम (35 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2014 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर (बुलन्दशहर)।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैचसाइट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

Manager  
Shyam Lal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

प्राचार्य  
श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manager  
Shyam Lal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

**TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART - III, SECTION 4**

NRC/NCTE/UP-2727/206<sup>th</sup> Meeting/2012/34803

Dated:- **5 DEC 2012**

**RECOGNITION ORDER**

WHEREAS in terms of section 14(1) of the NCTE Act, 1993 Saraswati Shiksha Samiti, Plot No - 3285, 3286, 3296, 3267 of Shikarpur and No. 153/00347 of Village Saragaon, Shikarpur Dibai Road, Post Office - Shikarpur, Tehsil/Taluka - Shikarpur Development Area, Shikarpur, District - Bulandshahar, State - Uttar Pradesh has submitted on application (Code No. UP-2727) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for conducting M.Ed. Course with an annual intake of 35 (Thirty Five Only) in the institution name of Shyamlal Saraswati Mahavidhyalaya, Plot/Khasra No - 0, Village - Shikarpur, Post Office - Shikarpur, Tehsil/Taluka - Shikarpur, District - Bulandshahar, State - Uttar Pradesh, Pin Code - 202395.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal of veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against letter of 7(9), the Northern Regional Committee in its 206<sup>th</sup> meeting held on October 17<sup>th</sup> to 19<sup>th</sup>, 2012 is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the M.Ed. programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition Shyamlal Saraswati Mahavidhyalaya, Plot/Khasra No - 0, Village - Shikarpur, Post Office - Shikarpur, Tehsil/Taluka - Shikarpur, District - Bulandshahar, State - Uttar Pradesh, Pin Code - 202395 for conduction M.Ed. Course of Secondary (level) of one year duration with an annual intake of 35 (Thirty Five Only) from the academic session 2013-2014 under clause 7(11) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2009 subject to fulfilment of the following conditions:-


- The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
- The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2009.
- The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.

4. Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, the State Government etc. as applicable.

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

6. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- Copy of the Application Form
- Land and Building Particulars
- Staff Profile
- Recognition letter

  
Manager  
Shyamlal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

20/198, Kaveri Path, Near Mansarovar Stadium, Mansarovar, Jaipur -302 020 (Rajasthan)  
Phone : 0141-2390064, 2390210, Fax : 0141-2390087  
E-mail : nrc@ncte-india.org, Website : www.ncte-india.org

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manager  
Shyamlal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

(v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

7. In case if the land is in the name of the Society/trust, you must transfer the land within six month in the name of the institution failing to which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate about the same to the respective Regional Committee along with the new land documents within the stipulated time.

8. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognitions as under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

9. Further, if the institution is not satisfied by this order, they can prefer an appeal under section 18 NCTE Act, 1993 in the "online mode" available on NCTE's website [www.ncte-india.org](http://www.ncte-india.org) within 60 days from the date of this order.


Encl:- As above

The Manager to Govt. of India,  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi - 110 054


C.C.

1. The Secretary/Correspondent, Saraswati Shiksha Samiti, Plot No - 3285, 3286, 3296, 3267 of Shikarpur and No - 153/00347 of Village Saragaon, Shikarpur Dibal Road, Post Office - Shikarpur, Tehsil/Taluka - Shikarpur Development Area, Shikarpur, District - Bulandshahar, State - Uttar Pradesh.
2. The Principal, Shyamlal Saraswati Mahavidhyalaya, Plot/Khasra No - 0, Village - Shikarpur, Post Office - Shikarpur, Tehsil/Taluka - Shikarpur, District - Bulandshahar, State - Uttar Pradesh, Pin Code - 202395.
3. The Secretary, Secondary & Higher Education, Govt. of UP, Secretariat, Lucknow, Uttar Pradesh.
4. The Registrar, Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh.
5. The Secretary, Dept. Of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
7. Office order file/ Institution file.

  
Regional Director

  
Regional Director

Manager  
Shyamlal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

  
श्यामल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manager  
Shyamlal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

चाधरा चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक:-सम्बद्धता/1378

दिनांक: 05.11.2003

सेवा में,

प्राचार्य,

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर,  
बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया शासन के पत्रांक संख्या ई0स0/2606 /जी0एस0 दिनांक 19, सितम्बर, 2003 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अधीन श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, चित्रकला, गृह विज्ञान, एवं समाजशास्त्र विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2003 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

01. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851 /सत्तर -2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2, जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा - निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्ण रूपेण परिपालन किया जा रहा है।
02. यदि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त स्वीकृति के अनुपालन में कुलपति जी द्वारा उपरोक्त महाविद्यालय को कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, चित्रकला, गृह विज्ञान, एवं समाजशास्त्र विषयों में दिनांक 01.07.2003 से उपरोक्त शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान कर दी है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. उपकुलसचिव(परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. प्रभारी कमेंटी सैल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manag कुलसचिव  
Shyam Lal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

चाधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



सम्बद्धता आदेश

पत्रांक : सम्बद्धता/20/4  
दिनांक : 02/08/2022

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०काम० पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशामन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अगिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 11.08.2021 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०काम० पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

प्राचार्य

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manag

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



Regd

पत्रांक:-सम्बद्धता/12-12

दिनांक: 15.09.2003

8/10

सेवा में,  
सचिव,  
श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर,  
बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया शासन के पत्रांक संख्या ई0स0/1933 /जी0एस0 दिनांक 25, अगस्त 2003 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अधीन श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

01. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851 /सत्तर -2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा - निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्ण रूपेण परिपालन किया जा रहा है।
02. यदि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्त स्वीकृति के अनुपालन में कुलपति जी द्वारा उपरोक्त महाविद्यालय को कार्यपरिपद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों में दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता प्रदान कर दी है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. उपकुलसचिव(परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. प्रभार कमेटी सैल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रचार्य

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manager कुलसचिव

Shyam Lal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2015  
दिनांक : 02/08/2022

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एस०सी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम (एक अतिरिक्त सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 11.08.2021 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एस०सी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम (एक अतिरिक्त सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मचारी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, रटोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करे।
8. गार्ड फाइल हेतु।

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक:- सम्बद्धता/1244  
दिनांक:- 10.06.2004

सचिव,  
श्याम लाल सरस्वती महाविद्यालय,  
शिकारपुर, बुलन्दशहर

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 3781/जी.एस. दिनांक 14 मई, 2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के सुसंगत प्रावधानों के अधीन श्याम लाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को स्नातक स्तर पर बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2004 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2004 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे, जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भवदीय,

- प्रतिलिपि:-
1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
  2. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

के. डी.

कुलसचिव

(4)

aps. upbha  
atps. up

**चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ**  
**Ch. Charan Singh University, Meerut**



सचिव

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय,  
शिकारपुर, बुलन्दशहर

पत्रांक : सम्बद्धता/2606  
दिनांक : 19.9.2011

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-2384/सत्तर-2-2011-2(346)/2011, दिनांक 25.08.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को बी0एस-सी0 (बायोटेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम/विषय (60 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को बी0एस-सी0 (बायोटेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम/विषय (60 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, इन्टरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाइट पर डालने का कष्ट करें।
7. गाडे फाइल हेतु।

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर, बुलन्दशहर

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक:- सम्बद्धता/524  
दिनांक:- 1 मई, 2007

सेवा में,

सचिव,  
श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय,  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स./1197/जी.एस. दिनांक 21.08.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का धारा-37(2) के अधीन श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर (बुलन्दशहर) को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय में एम0एस-सी0 (गणित तथा रसायन शास्त्र) विषयों में स्वयं पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2006 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्थान को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने का कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में विश्वविद्यालय कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर (बुलन्दशहर) को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम0एस-सी0 (गणित तथा रसायन विज्ञान) विषयों में स्वयं पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

( एस0 सी0 गुप्ता )  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कर्मटी रौल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

( एस0 सी0 गुप्ता )  
कुलसचिव

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manager  
Shyamalal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/२५२५  
दिनांक : अगस्त, 2008

सचिव,

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय,  
सरस्वती विहार, शिकारपुर (बुलन्दशहर)

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-सम्ब0-174/सत्तर-2-2008-2 (267)/2008, दिनांक 24.07.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर (बुलन्दशहर) को एम0एस-सी0 (बायोटेक्नोलॉजी) एवं एम0ए0 (गृहविज्ञान) पाठ्यक्रमों (एक-एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर (बुलन्दशहर) को एम0एस-सी0 (बायोटेक्नोलॉजी) एवं एम0ए0 (गृहविज्ञान) पाठ्यक्रमों (एक-एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manager  
Shyamal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3989 A

दिनांक : 31-12-18

**सम्बद्धता आदेश**

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-ति-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0 (समाजशास्त्र) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राप्त का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता-वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 21.08.2017 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0 (समाजशास्त्र) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manager  
Shyam Lal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ 894  
दिनांक : 26.06.2006

सचिव,  
श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय,  
सरस्वती विहार, शिकारपुर,  
बुलन्दशहर  
महोदय,

कुलाधिपति सचिवालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या-713/जी.एस. दिनांक 09.06.2006 के माध्यम से माननीय महामहिम कुलाधिपति जी ने सम्यक् विचारोपरान्त आपके संस्थान (श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, सरस्वती विहार, शिकारपुर, बुलन्दशहर) को शिक्षा संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 01.07.2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन प्रदान की ~~गई~~ तथा संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में उनके द्वारा प्रबन्धकीय कोटे में निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश न लिया जाये, आरक्षण नियमों का विधिवत पालन किया जाये तथा सम्बद्धता हेतु निर्धारित समस्त शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं निरन्तरता सुनिश्चित की जाये अन्यथा संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कर्मटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

प्राचार्य  
श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय  
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

Manager  
Shyam Lal Saraswati Mahavidhyalaya  
Shikarpur (Bulandshahr)

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/१००२-५  
दिनांक : 19/8/2010

सचिव,

श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय,  
शिकारपुर, बुलन्दशहर


महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0-84/सत्तर-2-2010-2 (84)/2010, दिनांक 25.06.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय-पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलन्दशहर को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमेंटी सैल/बी0एड0 सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. समन्वयक बी0एड0 प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वैबसाईट पर डालने का कष्ट करें।
7. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त संस्थान की 11 अतिरिक्त सीटों को भी काउन्सलिंग में सम्मिलित करने का कष्ट करें।